न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 100 / 2019	2019 / 00195	13–11–2019	21–01–2021

01– मनोहर लाल पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी उछर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ दिनांक 01.11.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 07 / 2019

उपस्थितः–

01–श्री पवन सिंह चौहान –वकील अपीलाण्ट

–ःनिर्णयः–

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 01.11.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम उछर की सरकारी गै0मु0रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 2–07 बीघा में से 0.08 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम उछर की सरकारी गै0मु0रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 387 रकबा 2–07 बीघा में से 0.08 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.04.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 01.11.2019 अपास्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरूद्ध दिनांक 03.11.2020 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 27.01.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट को आरोपित पैनल्टी से मुक्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21–01–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र...
अलवर (राज0)